

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय-आदेश ::

सत्र 2016-17 में आयोज्य 34 वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर (15 वर्ष छात्र) नेहरू हॉकी प्रतियोगिता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रींगस (सीकर) में दिनांक 27.08.2016 से 29.08.2016 तक आयोजित होने जा रही है। उक्त खेल के सफल संचालन हेतु निर्णायक मण्डल का गठन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-  
**निर्णायक मण्डल - सब जूनियर नेहरू हॉकी (15 वर्ष छात्र) सर्व श्री**

1.	रणजीतराम विश्नोई	प्रशिक्षक	सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर	संयोजक-निर्णायक मण्डल
2.	मोहम्मद तस्कीन	प्रशिक्षक	रा. फतह उ.मा.वि., उदयपुर	सदस्य
3.	राजेश कुमार ओझा	व.शा.शि.	रा.उ.मा.वि., नागरी (चित्तौड़गढ़)	सदस्य
4.	प्रेमसिंह चूंण्डावत	शा.शि.	रा.उ.मा.वि., डाकन कोटडा (उदयपुर)	सदस्य
5.	राजेन्द्र सिंह देवड़ा	शा.शि.	रा.उ.मा.वि., रामपुरा (सिरोही)	सदस्य
6.	महेन्द्र सिंह राठौर	शा.शि.	रा.मा.वि., भटियाणी चौहट्टा, उदयपुर	सदस्य
7.	हनुवन्त सिंह	व.शा.शि.	रा.उ.मा.वि., रानी स्टेशन (पाली)	सदस्य
8.	वीरेन्द्र सिंह	व.शा.शि.	रा.उ.मा.वि., सुरोठ (करौली)	सदस्य
9.	पुखराज बिश्नोई	शा.शि.	रा.मा.वि., कोसाना (जोधपुर)	सदस्य
10.	राधेश्याम अहीर	शा.शि.	रा.मा.वि. नयागांव मीणों का-केकड़ी (अजमेर)	सदस्य
11.	महेन्द्र सिंह देवड़ा	शा.शि.	रा.मा.वि., वेलांगिरी (सिरोही)	सदस्य
12.	सीताराम बारूपाल	व.शा.शि.	रा.उ.मा.वि., दियातरा (बीकानेर)	सदस्य
13.	रविन्द्र कुमार	शा.शि.	राउमावि, सामरदा-खाजूवाला (बीकानेर)	सदस्य
14.	मनमोहन विश्नोई	शा.शि.	राउमावि, डेली तलाई-खाजूवाला (बीकानेर)	सदस्य
15.	रेखा राम विश्नोई	शा.शि.	रामावि, लवारी पीपाड शहर (जोधपुर)	सदस्य
16.	पंकज सेन	शा.शि.	राउमावि, बापिणी (जोधपुर)	सदस्य
17.	नरेश पूनिया	शा.शि.	राउमावि, धीरवास बड़ा (चूरु)	सदस्य
18.	राजाराम	शा.शि.	राउमावि, नोखडा भाटियान (जोधपुर)	सदस्य
19.	मोहन लाल	व.शा.शि.	राउमावि, 3एनडी (श्रीगंगानगर)	सदस्य
20.	सहीराम विश्नोई	शा.शि.	राउमावि, सम्बाडिया-बिलाडा (जोधपुर)	सदस्य
21.	बलवीर सिंह	व.शा.शि.	राउमावि, नाडोल (पाली)	सदस्य
22.	सागरमल	शा.शि.	राउमावि, ठिकरिया-रींगस (सीकर)	सदस्य
23.	रामअवतार यादव	शा.शि.	राउमावि, चन्दलाई (टोंक)	सदस्य
24.	अनुज मदान	शा.शि.	राबाउमावि, गण्डाला -बहरोड (अलवर)	सदस्य
25.	शेर सिंह	शा.शि.	राउमावि, निरवाल (हनुमानगढ़)	सदस्य
26.	धमेन्द्र सिंह नरुका	शा.शि.	रामावि, श्रीकृष्ण नगर -मुण्डावर (अलवर)	सदस्य

सम्बद्ध कार्यालय अध्यक्ष/संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु प्रतिनियुक्त कार्मिक को प्रतियोगिता स्थल पर दिनांक 26.08.2016 को प्रातः पहुँचने हेतु यथा समय निश्चित रूप से कार्यमुक्त करें। यदि उक्त कार्मिक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो सम्बद्ध आदेश नवपदस्थापन स्थान पर भेजते हुए निदेशालय को अविलम्ब अवगति दें। संस्थाप्रधान को पाबंद किया जाता है कि प्रतिनियुक्त कार्मिक को प्रतियोगिता स्थल हेतु अनिवार्यतः कार्यमुक्त करें।



निदेशक महोदय के निर्देशानुसार संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं कार्यमुक्ति के बाद कार्मिक द्वारा सम्बन्धित स्थान पर उपस्थिति नहीं देने पर कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

संयोजक निर्णायक मण्डल यदि आवश्यकता समझें तो टीमों के साथ आने वाले कार्मिकों से भी उनकी योग्यतानुसार निर्णायक का कार्य सम्पादन हेतु सहयोग लिया जा सकता है। निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त निर्णायक मण्डल एवं स्थानीय निर्णायकगण, संयोजक निर्णायक मण्डल के निर्देशानुसार सौंपे गये कार्य का निर्वहन करेंगे।

निर्णायक निर्णयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य का निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व से सम्पादित करेंगे। इनमें से किसी प्रकार की अनियमितता होने पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। समस्त को नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा ।

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।**

  
उप निदेशक (खेलकूद)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/खेलकूद-3/35102/नेहरू हॉकी/2016-17/9-10 दिनांक 5/8/16  
प्रतिलिपि:-निम्नांकितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक के संस्था प्रधान को निर्देशित करते हुए अन्य कार्य का उत्तरदायित्व नहीं सौंपते हुए निदेशालय के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त प्रतियोगिता स्थल पर निश्चित रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें ।
3. प्रतियोगिता आयोजक एवं प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रिंगस (सीकर) को प्रेषित कर लेख है कि संयोजक निर्णायक मण्डल के कार्मिकों के आवास की समुचित व्यवस्था की जाए ।
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक।
6. रक्षित पत्रावली।

  
उप निदेशक (खेलकूद)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर